रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के0 पी0 सिटी –67/2024–26

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 46 ● अंक – 10 ● कानपुर 16 से 31 मई 2024 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

चाहत है सफ़ल चिकित्सक होने की

तो अपनी व्यवस्था में सुधार लायें

चुनाव के बाद हो सकता है बड़ा फ़ैसला

C.E.H. कोर्स को लेकर इलेक्ट्रो होम्योपैथों में भारी उत्साह

बोर्ड ने तय कर दी गाइड लाइन

"जो जिस विधा का चिकित्सक है उसे उसी विधा में चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार है.."

यदि वह उसके विरूद्ध कार्य करता है तो उस चिकित्सक का यह कार्य अवैधानिकता की श्रेणी में आता है और एक तरह से यह अपराध भी माना जाता है, यह बात सभी चिकित्सक भलीभांति जानते हैं परन्तु सबकुछ जानते हुए भी लोग अवैधानिक कार्य में लिप्त रहते हैं, यह बात इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों पर भी लागू होती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को अपनी विधा में चिकित्सा व्यवसाय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, इसके लिए बाकायदा प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया जा चुका है परन्तु हमारे बहुत सारे चिकित्सक बार बार चेतावनी देने के उपरान्त भी अन्य विधा से चिकित्सा व्यवसाय करने में लिप्त रहते हैं जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है, सरकार बार–बार चिकित्सकों को इस बारे में सूचित करती रहती है कि वह अपनी विधा में ही चिकित्सा व्यवसाय करें यदि चिकित्सक इस बात का उल्लंघन करता है तो वह चिकित्सक झोलाछाप की श्रेणी में आता है और प्रदेश में किसी भी झोलाछाप चिकित्सक को चिकित्सा व्यवसाय करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, झोलाछाप चिकित्सक यदि जांच में पकड़ा जाता है तो उसके विरूद्ध विधिक व दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का प्राविधान भी है, चिकित्सकों की जांच पड़ताल का मामला वर्षों से चलता चला आ रहा है लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा इस जांच पड़ताल को ज़्यादा महत्व न देने के कारण झोलाछाप चिकित्सकों के हौसले बुलन्द रहते हैं और वह अवैधानिक कार्य में लिप्त रहते हैं परन्तु वर्तमान सरकार का रूख इस बार कुछ ज़्यादा ही कड़ा है, वह चिकित्सा हो या शिक्षा, हर क्षेत्र में कड़ा रूख अपनाये हुए है आप सभी को पता होगा कि प्रदेश सरकार किस तरह से सरकारी सेवा में लगे डाक्टरों पर लगाम कसे हुए है, हर चिकित्सक कानून में रहकर ही काम करने को बाध्य है।

अब झोलाछापों की खैर नहीं है झोलाछाप कोई और व्यवसाय तलाश लें, एक सर्वेक्षण के अनुसार पूरे प्रदेश में लगभग दो लाख झोलाछाप डाक्टर जनता की जिन्दगी से खेल रहे हैं अर्थात बीस करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में हर सौ लोगों के ऊपर एक झोलाछाप है, यह एक गम्भीर समस्या है इस समस्या से इन शीघ्र ही निजात पा लेंगे।

हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा से चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है इसलिए हमारे जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक हैं वह समय रहते अपनी व्यवस्था में सुधार कर लें, एलोपैथी में अपनी लिप्तता को त्याग दें और शुद्ध इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ही चिकित्सा व्यवसाय करें, जो चिकित्सक यह बहाना बनाते हैं कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी से व्यवसाय तो करना चाहते हैं परन्तु उन्हें औषधियां प्राप्त नहीं हैं वह अनर्गल प्रलाप करते हैं वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां हर छोटे व बड़े शहरों में उपलब्ध हैं इसलिए औषधियों की अनुपलब्धता का बहाना कदाचित स्वीकार नहीं है, यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं तो आपका दायित्व है कि अपनी विद्या में ही प्रैक्टिस करें, ज्ञातव्य हो कि प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को झोलाछाप चिकित्सक नहीं मानती है, एक सच्चे और समर्पित इलेक्ट्रो होम्योपैथ की भांति कार्य करें और किसी भी परेशानी से बचें, लोक सभा चुनाव के बाद प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सकों की जांच पड़ताल का सघन अभियान प्रारम्भ होने वाला है बहुत सम्भव है कि इस अभियान में आप भी जुड़ जायें जब कोई अधिकारी आपकी क्लीनिक का निरीक्षण करने आये तो उसे यह लगे कि यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ही क्लीनिक है इस हेतु हर चिकित्सक को चाहिये कि अपने क्लीनिक के बाहर लगे बोर्ड पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी शब्द का स्पष्ट उल्लेख करे, अपने लेटरपैड पर भी अपने नाम के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी पंजीयन संख्या भी लिखे, इसके साथ – साथ अपने जनपद में आपने जो पंजीयन की प्रतिलिपि प्राप्त की है निरीक्षणकर्ता को दिखा दें, पूरा प्रयास करें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अलावा अन्य कोई भी औषधि आपके क्लीनिक पर न पायी जाये रोगियों को देखने और उनको दी जाने वाली औषधियों का रिकार्ड भी अपने रजिस्टर में सुरक्षित रखें, अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उन्हें दिखायें।

प्रदेश में अभी भी अनेक ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने शिक्षा तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्राप्त की है परन्तु पंजीयन नहीं करवाया, बिना पंजीयन के ही चिकित्सा व्यवसाय में लगे हुए हैं ऐसे चिकित्सक तत्काल अपना पंजीयन अपनी परिषद में करा लें क्योंकि बिना पंजीयन के चिकित्सा व्यवसाय करना अपराध की श्रेणी में आता है, बिना पंजीयन के प्रैक्टिस करते हुए पकड़े जाने पर आपके विरूद्ध अधिकारी मुकदमा लिखा सकता है भले ही आप शुद्ध इलेक्ट्रो होम्योपैथ ही क्यों न हों।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से पंजीकृत वह चिकित्सक जिनके पंजीयन की मान्य अवधि समाप्त हो चुकी है वह अविलम्ब अपना नवीनीकरण करा लें जिससे कि उन्हें भी पंजीकरण सम्बन्धी कोई परेशानी न हो, एक छोटी सी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है इसलिए इस पहलू पर पैनी दृष्टि रखते हुए हमारे साथियों को कार्य करना चाहिये, अधिकार का उपयोग तभी होता है जब हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी लगातार मज़बूती के साथ आगे बढ़ रही है, केन्द्र और प्रदेश दोनों सरकारें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति सकारात्मक दृष्टि अपनाये हुए हैं इसलिए चिकित्सकों को चाहिये कि ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे समाज में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गलत छवि बने सरकार को चिकित्सकों से ही यह अनुमान लगता है कि इस विधा से कितने चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करते हुए जनता को स्वास्थ्य लाभ दे रहें हैं और इसी जनोपयोगिता के आधार पर मान्यता की राह प्रशस्त होती है, इसलिए हर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक का यह नैतिक दायित्व है कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गरिमा को बनाये रखे जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मज़बूती से खड़ी हो।

अपनी पद्धति से ही करें प्रैक्टिस
झोलाछापों पर होगी कड़ी कार्यवाही
सरकार का रूख स्पष्ट
इलेक्ट्रो होम्योपैथ झोलाछाप नहीं है
छोटी सी गलती बनेगी बड़ी परेशानी

मिले हुये समय को ही अच्छा बनाये

सामान्यतयः व्यक्ति परेशानियों से बचना चाहता है एवं इस प्रयास में रहता है कि परेशानियों से उसका कदापि सामना न हो परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े लोग हर समय कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे कि परेशानियों का स्वंय ही निमंत्रण मिल जाता है, अगर यह निमंत्रण व्यक्तिगत तौर पर उन्हीं को आनन्द दे जो इस आनन्द को लेना चाहते हैंतो ठीक है, प्रायः होता यह है कि उनका यह कार्य समूचे इलेक्ट्रो होम्योपैथों को परेशानी में डाल देता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की नित्य नई–नई परिभाषायें गढ़ी जा रही हैं, वर्तमान प्रचलित फार्मेसी पर प्रश्नचिन्ह खड़े किये जा रहे हैं अब तो स्पैजिरिक को ही अव्यवहारिक बताया जा रहा है, आरोपों–प्रत्यारोपों का सिलसिला प्रारम्भ है, तथ्यहीन बातों को प्रभावी बनाने के प्रयास जारी हैं और सक्रियता इस कदर नज़र आ रही है जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मान्यता हमारे इन्हीं साथियों के पॉकेट से निकलने वाली है।

"गत दिनों जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुआ है वह कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है।" इण्डियन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिकग्नीज़न संघर्ष कमेटी द्वारा ज़िला गोंडा (उ0प्र0) के एक होटल में साइन्सटिफिक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें देश के कोने–कोने से वरिष्ठ इलेक्ट्रो होम्योपैथों के साथ प्रशासनिक अधिकारी तथा उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता भी सम्मिलित हुये, इनके साथ ही अनेक प्रदेशों व जनपदों से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों ने अपनी सहभागिता की, इस आयोजन में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति के समक्ष प्रपोज़लकर्ताओं के समूह, ज्वाइन्ट प्रपोज़लकर्ताओं ने सरकार के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु संकल्प भी लिये, आशा है कि ज्वाइन्ट प्रपोज़लकर्ताओं का यह संगठन आयोजन में लिये गये निर्णयों से अन्तरविभागीय समिति को अवगत करायेगा तथा उससे यह अपेक्षा भी करेगा कि अब शीघ्र ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी को चिकित्सा पद्धति की मान्यता प्रदान कर दी जाये, विदित हो कि ज्वाइन्ट प्रपोज़लिस्ट कमेटी ने अन्तरविभागीय समिति को वह सबकुछ प्रस्तुत कर दिया है जो उसे वांछित है।

कुछ हो या न हो परन्तु अगर इस सक्रियता में कमी नहीं आयी तो निसंदेह परेशानियां ज़रुर आयेंगी और यह परेशानियां स्वंय द्वारा ही निमंत्रित हैं, ज्यों–ज्यों समय बढ़ता जायेगा त्यों–त्यों व्यवस्थाओं में परिवर्तन आना स्वभाविक है, वैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की आज जो स्थिति है वह अपने आप में बहुत मज़बूत है, भारत सरकार द्वारा बार–बार सकारात्मक आदेश देना इस बात के स्वंय प्रमाण दे रहे हैं कि सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कोई निर्णायक नीति बनाना चाहती है।

यद्यपि सरकार के पास सम्पूर्ण जानकारियां हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी कब जन्मी ? इसका विकास कैसे हुआ ? औषधियों की गुणवत्ता क्या है ? उनकी सुरक्षा एवं उपयोगिता की भी सम्पूर्ण जानकारी सरकार के पास पहले से ही उपलब्ध है और जो कुछ भी अन्य जानकारियां सरकार को चाहनी होगी सरकार के पास इतने मज़बूत संसाधन हैं कि वह उसे जब चाहे प्राप्त कर सकती है, यह तो हम सबका भाग्य है कि सरकार ने हमें यह अवसर प्रदान किया है कि हम सब अपने–अपने स्तर से सरकार को वांछित सूचनायें उपलब्ध करायें, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि सरकार आपको पूरा अवसर दे रही है कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हर अंग की जानकारी अपने स्तर से प्रदान करें जिससे कि सरकार प्राप्त जानकारी के आधार पर ही निर्णय ले सके।

हमारे द्वारा प्रदत्त हर सूचना इतनी मज़बूत होनी चाहिये कि सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष जब हमारा दावा प्रस्तुत किया जाये तो हमारी दावेदारी में कोई कोर–कसर न रह जाये और विशेषज्ञ समिति में नामित किसी भी सदस्य को कोई कमी निकालने का अवसर प्राप्त न हो, कमी तो हर एक में होती है परन्तु कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो समय रहते पूर्ण की जा सकती हैं और कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिन्हे पूरा करने के लिये कुछ समय की मांग भी की जा सकती है।

पूर्णतः तो तभी होगी जब भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को संचालित होते रहने के लिये कोई ठोस और स्पष्ट नीति का निर्धारण किया जाये, एक पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण किया जाये अस्तु सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य करें एवं अनचाही परेशानियों को निमंत्रण न दें।

जर्मन फार्माकोपिया में स्पैजेरिक की उपस्थिति होने पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों को पुनः प्रमाणिकरण की आवश्यकता नहीं

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियां स्वतः प्रमाणित हैं इन्हें किसी भी तरह के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है यह विचार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों की गुणवत्ता एवं प्रमाणिकता विषयक गोष्ठी जो बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के सभागार में दिनांक 04 मई, 2024 को आयोजित हुयी में अनेक वक्ताओं, बुद्धजीवियों एवं औषधि निर्माताओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया इस गोष्ठी में अधिकांश वक्ताओं द्वारा अपने विचार व्यक्त किये गये, अनेक वक्ताओं का यह स्पष्ट मत था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियां जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया में समाहित हैं अस्तु इन औषधियों के निर्माण और गुणवत्ता पर कोई संशय नहीं होना चाहिये परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये भारत सरकार ने अभी तक अलग से कोई कानून नहीं बनाया है।

चूँकि यहाँ पर मामला सीधे सीधे आयात (Import) का आ जाता है तो हमारे लिये भी वह सारी व्यवस्था लागू हो जाती है जो आयातकों (Importers) के लिये हैं, जब मामला ड्रग्स का आ जाता है तो हमारे ऊपर ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट का कानून सीधे सीधे लागू हो जाता है, अब यहीं पर यदि उपभोगता (दवा मंगाने वाली कम्पनी/ कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्था/इलेक्ट्रो होम्यापैथिक औषधियों के विक्रेता) अपनी बात को उचित ढंग से एयरपोर्ट/शिपिंग यार्ड में उपस्थित कस्टम ऑफीसर को यह स्पष्ट कर देता है कि होम्योपैथी में मदर टिंचर एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में स्पैजेरिक एसेन्स बनते हैं और दोनों की ही निर्माण विधियां **G.H.P.** का अंग हैं बताकर साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट कर देता है तो वहां पर कस्टम ऑफीसर के संस्तुति से वह अन्य परेशानियों से बच सकता है, वैसे देखा जाये तो वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों का निर्माण विश्व स्तरीय होम्योपैथिक औषधि निर्माता कम्पनियों द्वारा निर्मित की जा रही हैं, ऐसी विश्व स्तरीय कम्पनियों द्वारा निर्मित औषधियों की गुणवत्ता पर सन्देह करना होम्योपैथी पर प्रश्न खड़ा करना जैसा है, स्पैजेरिक विधि द्वारा औषधियों का निर्माण इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धान्त पर मुहर लगाता है, 114 पौधों से निर्मित यह औषधियां पूर्ण सुरक्षित व अहानिकर हैं, वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियों के निर्माण पर प्रश्न खड़ा करना अपरिपक्वता का सन्देश देता है।

होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी दोनों की औषधि निर्माण विधि में जमीन आसमान का अन्तर है और यही निर्माण विधि दोनों चिकित्सा पद्धतियों के मध्य अन्तर स्थापित करती हैं, होम्योपैथी में मदर टिंचर एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में स्पैजेरिक एसेन्स बनते हैं और दोनों की ही निर्माण विधियां **G.H.P.** का अंग है।

ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की औषधियों के प्रमाणीकरण की बात करना सर्वथः अनुचित है।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, द्वारा आदेश प्राप्त एक मात्र संगठन
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल ऐसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया (E.H.M.A.I.) द्वारा जनहित में जारी

List of Medical Institutes/Institute

Sr.	Code	Name	District	Principle & Mob.No.
1	01	Ashish Electro Homoeopathic Medical Institute	RAIBARELY	EH Dr. P. N. Kushwaha 9415177119
2	03	Awadh Electro Homoeopathic Medical Institute	LUCKNOW	Dr. Ashutosh Kapoor 7007592773 , 9125720111
3	05	Bhagwan Mahaveer Electro Homoeopathic Institute	JAUNPUR	EH Dr. P. K. Maurya 9451162709
4	06	Maa Sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Institute	LAKHIMPUR	EH Dr. R.K. Sharma 9454236971
5	11	Chand Par Electro Homoeopathic Medical Institute	AZAMGARH	EH Dr. Mushtaq Ahmad 9415358163
6	13	Azad Electro Homoeopathic Medical Institute, Kintoor	BARABANKI	EH Dr. Habib-ur-Rehman 8574239344
7	15	Electro Homoeopathic Medical Institute	SHAHJAHANPUR	EH Dr. Ammar-Bin-Sabir 9336034277
8	16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Institute	Shahganj JAUNPUR	EH Dr. S. N. Rai 9450088327
9	17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute	SIDDHARTH NAGAR	Dr.Ved Prakash Srivastav 9936022029

List of Study Centres

Sr.	Code	Name	District	Principle & Mob.No.
10	51	Fatehpur E.H. Study Centre	FATEHPUR	EH Dr. Vakeel Ahmad 8115210751
12	52	Deoria E.H. Study Centre	DEORIA	EH Dr. P. K. Srivastav 9415826491
13	53	Bahraich E.H. Study Centre	BAHRAICH	Dr. Bhoop Raj. Srivastav 9451786214
14	54	Unnao E.H. Study Centre	UNNAO	EH Dr. Gaurav Dwivedi 9935332052
15	55	Walidpur E.H. Study Centre	Walidpur MAU	EH Dr. Ayaz Ahmad 9305963908
16	56	Aarti E.H. Study Centre	JALAUN	EH Dr. Gaya Prasad 8874429538
17	57	B.K. E.H. Study Centre	HAMIRPUR (U.P.)	EH Dr. N.B.Nigam 7007352458
18	58	Electro Homoeopathic Study Centre	Hasanganj UNNAO	Hakim Mohd. Rashid Hayat 9005680843
19	59	Sirsaganj E.H. Study Centre	Sirsaganj FIROZABAD	EH Dr. Mohd. Israr Khan 9634503421
20	60	Etawah E.H. Study Centre	ETAWAH	EH Dr. Mohd. Akhlak Khan 7417775346
21	61	Firozabad E.H. Study Centre	FIROZABAD	EH Dr. Shiv Kumar Pal 9027342885
22	62	D.L.M.M. Study Centre of E.H.	MAHARAJGANJ	EH Dr. Prince Srivasta 7398941680
23	63	Kushwaha E.H. Study Centre	KANPUR	EH Dr. Ram Autar Kushwaha 9793264649

AUTHORISED STUDY CENTRES OF OTHER STATES

Sr.	Code	Head of Centre	Address	District
22	81	EH Dr. Devendra Singh Mobile No 9818120565	374/4 Shaheed Bhagat Singh Colony, Karawal Nagar	DELHI-110090
23	82	EH Dr. Abdul Rahman Khan Mobile No 8000241542	12/1891 Ground Floor, Shop No: 3, Honey Park Apartment, Saiyed Wada, Shahpore	SURAT-395003

LIST OF AUTHRISED EXAMINATION CENTRES

Sr.	Code	Name of Examination Centre	Address	Name of Supdt. & Mobile No.
24	91	Khurja E.H. Examination Centre	Kurja , BULAND SHAHAR	EH Dr. P. K. Raghav 7505186156
25	92	E.H. Examination Centre,Moradabad	MORADABAD	EH Dr. S.K. Saxena 8171869605
26	94	E.H. Examination Centre	B.E.H.M.UP. KANPUR	Registrar B.H.M.U.P 0512-2970704

Registrar
B.E.H.M.,U.P.

बी0 ई0 एच0 एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।

क्या आप चिकित्सक बनना चाहते हैं ? प्रतिस्पर्धा की होड़ से बचें !
मँहगी डोनेशनयुक्त मेडिकल शिक्षा लेने में असमर्थ हैं !
तो
इलेक्ट्रो होम्योपैथी विकल्प है भारत सरकार के आदेश संख्या
C.30011/22/2010-HR
व
उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 2914/पांच–6–10–23 रिट/11
एवं
2 सितम्बर 2013 को क्रियान्वित आदेश के अनुसार
प्रदेश में विधि सम्मत ढंग से स्थापित
बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0
द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों
क्रमशः

F.M.E.H. अवधि 2 वर्ष (4 सेमेस्टर)
अर्हता 10 + 2 उत्तीर्ण

C.E.H. अवधि 2 वर्ष
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कम्पाउन्डर/फार्मेसिस्ट अर्हता 10वीं पास

G.E.H.S. अवधि 4+1 वर्ष
अर्हता 10 + 2 P.C.B.

P.G.E.H. अवधि 2 वर्ष
अर्हता G.E.H.S. अथवा किसी भी मेडिकल स्ट्रीम में डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण

A.C.E.H. अवधि 1 सेमेस्टर
अर्हता किसी भी राज्य परिषद द्वारा पंजीकृत चिकित्सक/2 वर्षीय मेडिकल अथवा पैरा मेडिकल पाठयक्रम उत्तीर्ण
में प्रवेश लेकर
अधिकारिक चिकित्सक बनकर देश व समाज को चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दें

विस्तृत जानकारी हेतु
बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की वेबसाइट
www.behm.org.in पर **visit** करें कोई समस्या हो तो
निम्न हेल्प लाइन नम्बरों से सहायता लें:–

9415074806, 7081624593, 9450153215, 7317590784, 884055156